मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2003-2004

1/प्रयुक्ति

ये मार्गदर्शक सिद्धांत मध्यप्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधान के तहत सहपठित करते हुए लागु होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे । ये नियम विश्वविद्यालय/संबंद्ध महाविद्यलयों के उन पाठ्यक्रमों के लिये लागू नहीं होंगे जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों ।

2. प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेंगे । विभिन्न प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन के पूर्व लगाई जावेगी । बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की सिंति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावे ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानान्तरण प्रकरण को छोडकर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो माान्य होगी । कंडिका 5,1(क)क में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे किंतु कर्मचारी क्षारा कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदन का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जावेगा ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोि ात होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किंतु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

2.4 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी । अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो माान्य होगी ।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण उपलब्ध सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे तथापि यह उन पर लागू नहीं होगा जहां सीटों की संख्या का निर्णय शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है । विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार दिया जावे । सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्ययन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है । प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्हें निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे ।

4. प्रवेश सूची

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संथाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय तथा लेबोरेट्री मेडिसन मैनेजमेंट एवं सिस्टम अनालेसिस, क्लीनिकल बायोकमिस्ट्री, माईक्रो बायोलाजी एंड मेनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय तथा प्रिंटिंग आफ डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एंड सिस्टम अनालेसिस टी.डी.पी. पैकेज, प्रोग्रामिक वर्कशाप प्रेक्टिस सम्मिलित है ं उपरोक्त विषयचों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा 10+2 के उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लेखित कक्षा में ही प्रवेश प्रदान किया जावे, ऐसे आवेदकों को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक किया जाये ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म.प्र. के किसी भी विश्वविद्यालय स्वशासी महाविद्याल से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में पात्रता है किंतु संबद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में प्ढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा ही दो इसका परीक्षण करने के प्श्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावें आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये ।

7.2 म.प्र. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे ।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है ।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता

अस्थाइ प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा कम्पार्टमेंट प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी बाद में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीमेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थाई प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थाई प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा । उत्तीर्ण होने पर अस्थाई प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा ।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा । उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूव्र में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा ।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है ।

9.3 महाविद्यालय में तोड-फोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आर.पी. छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है ।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी । स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित प्रवेश हेतु महिला उम्मीदवारों को उच्चतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा ।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के कलये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

(ग) विधि संकाय के त्रितर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा ·
(घ) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा ।

9.5 पूर्णकालितक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा । किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोडकर अन्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध सीनों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा ।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं मे प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा से प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ।
10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर /विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण बच्चों के क्रमानुसार रहेगा ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा । उत्तीर्ण नियमित भूतपूर्व, नियमित परीक्षार्थी एक विषय में पूरक पात्र । पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों से पहले उत्तीर्ण परंतु 48 प्रतिशत एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान तहसील जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों से आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक से निसास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा ।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा ।

12. आरक्षण मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे । इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तन शील होंगे ।

12.2 पिछडे वर्ग के (चिकनी परत को छोडकर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे ।

12.3 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थायी रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाये । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर तीनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाये परंतु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाये ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे ।

12.4 (अ) उच्चशिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों रजिस्ट्रार एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सभी संबंधित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावे ।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी, ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी शेष संवर्ग की सीटे भरी जावेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच जाने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्राऐं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे ।

12.8 समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे ।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जावेगा । पात्रता प्राप्त हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये गये/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिीार का देय होगा ।

13.1 एन.सी.स./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट/गाईडस/रेन्जर्स के अर्थ में पढा जावे ।

(क) एन.सी.सी./एन.सी.सी. ए सर्टीफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.सी.सी./एन.सी.सी. बी सर्टीफिकेट सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग) सी सर्टीफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म.प्र. के एन.सी.सी. कंटिनमेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ) म.प्र. सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक आफ एडिनबर्ग स्पार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेड	15 प्रतिशत
(र) भारत के अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम	15 प्रतिशत

एन.सी.सी./एन.सी.सी. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले केडेड को अंतर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर ।	10 प्रतिशत
13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश	05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

1. लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म.प्र. उच्चशिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला सीाग स्तर पर अथवा केंद्रीय विद्याालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत स्त्र प्रतियोगिता में

क. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
ख. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रिय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :

क. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
ख. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
ग. संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगि को	05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

क. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
ख. व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	12 प्रतिशत
ग. क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सेंस प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के

सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

क. म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत

ख. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म.प्र. की टीम के सदस्य को 12 प्रतिशत

13.7 जम्मुकाश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पिकयाह/एशियाह स्पोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया एस.जी.एफ.आई द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पात्रता है :

बशर्ते कि :

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यलय को प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेंगे । स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अभिभार हेतु मान्य होंगे ।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

क. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा । अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा ।

ख. महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जावेगी । यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो ।

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जावेगा । पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य सम्पूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे । छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे । प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा । शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर के अंतर्गत विश्वविद्वद्यालय में पंजीयन करना अनिवार्य होगा । शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे । अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा । महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं । जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था । शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध छात्र का शोध प्रवेश उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे ।

16. विशेष

16.1 जाति प्रमाण पत्रों में गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को हेागा ।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा ।

16.4 प्रवेश के सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सुरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा ।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र. भोपाल से प्राप्त करेंगे । प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्चशिक्षा को है । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरूपन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार म.प्र. शासन उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।